

उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़

बनाम

मैसर्स सुप्रीम फैब्रिक्स लिमिटेड

12 दिसम्बर, 2007

[एस एच कपाडिया और बी सुदर्शन रेडडी, जे. जे.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 3 (4) (घ) (II)-फैक्ट्री गेट से निकासी के दौरान लगने वाला लोडिंग-शुल्क करदाता ने मूल्यांकन योग्य कर से कटौती/छूट का दावा किया- यह निर्धारित किया गया कि अधिकरण ने यह सही माना है कि लोडिंग शुल्क पर शुल्क की मांग बाद में उठी और राशियां कुल थी। लोडिंग शुल्क पर देय भार की मांग बाद में की गई थी। इसलिए लोडिंग शुल्क के रूप में एकत्र किए गए कर को कुल देय उत्पाद शुल्क राशि में से कम किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में अधिकरण ने श्रीचक्र टायर्स लिमिटेड वी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, मद्रास, (1991) 108 ईएलटी 361(ट्रिब्यूनल), निर्णय का अनुसरण करते हुए आदेश पारित किया है।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2873/2002

उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलिय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपील संख्या ई/1372 2001-ए में ई क्रॉस/170/2001-ए में पारित आदेश क्रमांक 16/2002-ए दिनांक 8-1-2002 के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से आर.एस.शुक्ला, विकास शर्मा और रश्मी मल्होत्रा (के.बी. कृष्णा प्रसाद के लिए)।

न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया।

आदेश

प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

इस मामले में विवाद्यक बिंदू यह है कि क्या लोडिंग शुल्क जो कि कर निर्धारक द्वारा एकत्रित किया गया है वह सह-शुल्क मूल्य के रूप में माने जाने योग्य है। यदि हां तो क्या विभाग ऐसे लोडिंग शुल्क में छूट देने के बाद उक्त राशि की मांग करने के लिए अधिकृत था। [सिविल अपील पेपर बुक का पैरा 2(11) देखे]

मैसर्स सुप्रीम फैब्रिक्स लिमिटेड, लुधियाना ने फैक्ट्री गेट से क्लीयरेंस को प्रभावी करते समय अदा किए गए लोडिंग शुल्क के संबंध में देय कर योग्य राशि में से कटौती का दावा किया है।

लेखाधिकारी ने यह माना है कि ऐसी छूट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 4(4)(डी)(11) के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी। लेखाधिकारी ने यह माना है कि लोडिंग शुल्क की राशि कर निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल थी। साथ ही लेखाधिकारी ने यह भी माना है कि कर निर्धारिती ने लोडिंग चार्जस की राशि को कर योग्य राशि में शामिल करके गलती की है इसलिए वह उक्त शुल्क के कारण कटौती/छूट का हकदार नहीं था।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर, कर निर्धारिती मामले को आयुक्त (ए) के पास अपील में लेकर गया जिसमें यह भी निर्धारित किया गया कि लोडिंग शुल्क कर योग्य आय में शामिल है। किंतु न्यायिक दृष्टांत श्रीचक्र टायर्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, मद्रास (1999) 108 ई.एल.टी. का अनुसरण करते हुए कर निर्धारिती को कर छूट का हकदार माना था। कमीशनर के द्वारा दिये गये निर्णय के संबंधित पैराग्राफ में नीचे उद्धृत किया जा रहा है। जो निम्न प्रकार है-

"आकलन योग्य मूल्य की गणना के संबंध में मैं अपीलकर्ताओं से सहमत हूँ कि मूल्य को सह-शुल्क-मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए। यह मुद्दा पूर्व में सीईजीएटी-लार्जर बेंच द्वारा तय किया जा चुका है कि धारा 4(4) (डी)(II) सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के तहत- उत्पाद शुल्क को कुल देय कर राशि में से कम किया जाना चाहिए तथा ऐसी राशि को सह-शुल्क मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए। [श्रीचक्र टायर्स लिमिटेड बनाम सीसीई (1992(32)) आरएलटी-1(सीईजीएटी)] चूंकि इस मामले में लोडिंग शुल्क पर शुल्क की मांग बाद में उत्पन्न हुई है इसलिए लोडिंग चार्ज को सह-शुल्क ड्यूटी कीमत में शामिल मानते हुए यह छूट प्रदान की जानी चाहिए।"

आयुक्त के उक्त आदेश को अधिकरण ने बरकरार रखा, जिसके विरुद्ध विभाग के द्वारा यह सिविल अपील पेश की गई है।

विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर शुक्ला का कथन रहा है कि लोडिंग शुल्क जो कि विभाग द्वारा एकत्रित किया गया है वह उत्पादन मूल्य का भाग है इसलिए लोडिंग शुल्क के संबंध में छूट प्रदान नहीं की जा सकती। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन रहा है कि विभाग द्वारा श्रीचक्र टायर्स लिमिटेड (सुप्रा) में अधिकरण द्वारा दिये गए निर्णय को स्वीकार नहीं किया है तथा इसके विरुद्ध सिविल अपील संख्या 5862-5863/99 पेश कर रखी जो कि इस न्यायालय में लंबित है। विभाग के अधिवक्ता के अनुसार श्री श्रीचक्र टायर्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में अधिकरण दिया गया निर्णय सही नहीं है।

हम विभागीय अधिवक्ता के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं तथा इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि विभाग के द्वारा अधिकरण के समक्ष की गई अपील में इस संबंध में किसी प्रकार के कथन विभाग के नहीं रहे हैं जो इस न्यायालय के समक्ष रहे हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड से यह भी पाया गया है

कि विभाग के द्वारा पेश की गई द्वितीय सिविल अपील 5862-5863/1999 जो कि संलग्न के रूप में पृष्ठ संख्या डी के रूप में पेश की गई है, को इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा अपने आदेश दिनांक 26-02-2002 द्वारा खारिज किया जा चुका है। वह आदेश नीचे दिये जा रहा है जो कि निम्न प्रकार से है-

"पक्षकारों के अधिवक्तागण को प्रकरण के तथ्यों के संबंध में सुनने के पश्चात हमारी यह राय है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाया गया कदम सही है इस संबंध में कई प्रकार से गणना की गई है तथा हमने यह पाया है कि पश्चातवर्ती कीमत जो कि विभाग द्वारा 08-10-1992 से प्रभावी मानी है। वह बाद की कीमतों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त मूल्य में सह-शुल्क भी शामिल है तथा उक्त राशि में से सह-शुल्क की राशि की कटौती की जानी चाहिए। अतः अपील खारिज की जाती है।

हर्जे खर्चे के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं।

(आपूर्ति की गई)

उपरोक्त कारणों से इस अपील में कोई सार नहीं पाये जाने से यह सिविल अपील खर्चे के संबंध में कोई आदेश पारित किए बिना खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ब्रजेन्द्र रावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।